मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दि. 4/4/07

क्रमांक 570/2922/06/2/38: राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित निम्न 7 संगीत महाविद्यालयों तथा 4 शासकीय ललित कला संस्थाओं को उस स्वीकृत पदों, कार्यरत अमले (वर्तमान वेतनमान तथा सेवा शर्तों पर) परिसंपत्तियों तथा बजट के तत्काल प्रभाव वर्ष 2007-08 से संस्कृति विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में हस्तांतरित करता है:-

1. शासकीय संगीत महाविद्यालय ग्वालियर।
2. शासकीय संगीत महाविद्यालय इंदौर।
3. शासकीय संगीत महाविद्यालय मैहर।
4. शासकीय संगीत महाविद्यालय धार।
5. शासकीय संगीत महाविद्यालय नरसिंहगढ़।
6. शासकीय संगीत महाविद्यालय उज्जैन।
7. शासकीय संगीत महाविद्यालय मंदसौर।
8. शासकीय ललित कला संस्थान ग्वालियर।
9. शासकीय ललित कला संस्थान इंदौर।
10. शासकीय ललित कला संस्थान धार।
11. शासकीय ललित कला संस्थान जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(दीपा लेले)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Seen 12/4/07

-2-

11-2-11

पृ. क्र. 574/2922/06/2/38 भोपाल, दिनांक 4/4/07

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्य मंत्रीजी, भोपाल ।

2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, भोपाल ।

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/संस्कृति विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।

5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर कृपया समस्त संगीत महाविद्यालय /ललित कला संस्थानों के स्वीकृत पद, कार्यरत अमले, परिसंपत्तियों तथा बजट संस्कृति विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।

6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ....

7. समस्त प्राचार्य, समस्त शास. संगीत महाविद्यालय . धार, (म.प्र.)

8. समस्त प्राचार्य, समस्त ललित कला संस्थान

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

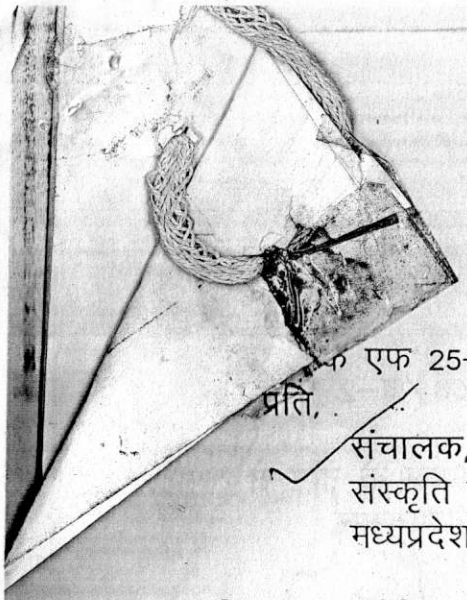

(1)
(73)

मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
मंत्रालय

क्र. एफ 25–12/2010/तीस | भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012

प्रति,

संचालक,
संस्कृति संचालनालय,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषयः--शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय, खण्डवा के लिए नवीन पदों के सृजन, पदों को भरने की स्वीकृति बाबत।

संदर्भः–आपकी टीप कमांक 1868/संसं/12 दिनांक 06.10.2012

....0000.....

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश शासन,संस्कृति विभाग के अधीनस्थ संचालक संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय, खण्डवा में प्रारंभ करने के लिये निम्नांकित पद (10 पदों) उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान से निर्माण एवं इन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा की स्थापना एवं वेतन हेतु रू0 25.00 लाख का प्रतिवर्ष स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क0	पदनाम	संख्या	वेतनमान	अनुमानित मासिक व्यय
1	प्राचार्य	01	15600–39100ग्रेड पे–6600	36,000/–
2	सहायक,व्याख्याता	03	9300–34800 ग्रेड पे–3200	60,000/–
3	संगीतकार,(संगीत)	02	5200–20200 ग्रेड पे–2400	26,000/–
4	स्टूडियो सहायक (ललित कला)	01	5200–20200 ग्रेड पे–2400	13,000/–
5	सहायक ग्रेड–2	01	5200–20200 ग्रेड पे–2400	13,000/–
6	भृत्य	01	4400–7440 ग्रेड पे–1300	9,000/–
7	चौकीदार	01	4400–7440 ग्रेड पे–1300	9,000/–
	योग	10	कुल	1,66,000/–

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 26 संस्कृति विभाग–2202–सामान्य शिक्षा–(3) विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा (103)–राजकीय कॉलेज और संस्थान–(7981)–ललित कला---(7982)–संगीत महाविद्यालय संस्थान के अंतर्गत शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय, खण्डवा की स्थापना के मद में विकलनीय होगा।

आवक क्रमांक 4606
दिनांक 12/12/12

उक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही शीघ्र करें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग कि यू0ओ0 कमांक 360/आर–466/ब–2 दिनांक 23.08.2010 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(बी.पी.सिंह)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन,संस्कृति विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 25–12/2010/तीस भोपाल, दिनांक दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपिः–

1. महालेखागार ,मध्यप्रदेश,ग्वालियर.
2. प्रमुख सचिव,राज्यपाल सचिवालय,भोपाल.
3. प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,भोपाल.
4. प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन,वित्त विभाग,भोपाल.
5. कुलपति, शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय, खण्डवा.
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय,भोपाल.
7. सचिव समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल उनकी टीप कमांक 1422/मु.स./12 दिनांक 22.11.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश।
9. गार्ड फाईल.

(विनोद कटेला)
अपर सचिव
म.प्र. शासन,संस्कृति विभाग

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11– 02/2014/तीस भोपाल, दिनांक 20.01.2014

प्रति,

संचालक,
संस्कृति संचालनालय,
भोपाल।

विषय :– शासकीय ललित कला संस्थान मध्यप्रदेश को शासकीय ललित कला महाविद्यालय करने के संबंध में।

संदर्भः– आपकी टीप क्रमांक 2721 दिनांक 23.11.2013

.... 0 ....

उपरोक्त विषयक संदर्भित टीप का कृपया अवलोकन करें। उक्त विषयक संबंध में शासकीय ललित कला संस्थान (इन्दौर,ग्वालियर,धार एवं जबलपुर) मध्यप्रदेश का नाम परिवर्तित कर शासकीय ललित कला महाविद्यालय किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3976
30/1/14
संस्कृति संचालनालय (म. प्र.)

(विनोद कटेला)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

——000——

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक जुलाई, 2017

क्रमांक एफ–25/8/स्था./2015/तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय प्रशाकीय नियंत्रणाधीन एवं संस्कृति संचालनालय के अन्तर्गत संचालित मैहर वाद्यवृंद(मैहर बैण्ड) हेतु निम्नांकित वर्तमान पदों के **पदनाम परिवर्तन** एवं **नवीन पदों के सृजन** की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1/ **पदनाम परिवर्तन :—**

क्र.	वर्तमान			परिवर्तित			श्रेणी
	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	
1.	सहा. बैण्ड मास्टर	01	15600–39100+5400	**संगीत शास्त्री**	01	15600–39100+5400	**द्वितीय श्रेणी**
2.	संगीतकार	01	9300–34800+3200	संगीतकार–**नलतरंग**	01	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
3	संगीतकार	02	9300–34800+3200	संगीतकार–**इसराज**	02	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
4	संगीतकार	01	9300–34800+3200	संगीतकार–**चेलो**	01	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
5	संगीतकार	02	9300–34800+3200	संगीतकार–**सितार बैंजो**	02	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
6	संगीतकार	01	9300–34800+3200	संगीतकार–**क्लार्नेट**	01	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
7	संगीतकार	01	9300–34800+3200	संगीतकार–**फ्लूट**	01	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
8	संगीतकार	02	9300–34800+3200	संगीतकार–**तबला**	02	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
9	संगीतकार	01	9300–34800+3200	संगीतकार–**हारमोनियम**	01	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
10	संगीतकार	02	9300–34800+3200	संगीतकार–**वायलिन**	02	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
11	संगीतकार	02	9300–34800+3200	संगीतकार–**सितार**	02	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
12	संगीतकार	01	9300–34800+3200	संगीतकार–**सरोद**	01	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी
13	संगीतकार	01	9300–34800+3200	संगीतकार–**ढोलक**	01	9300–34800+3200	तृतीय श्रेणी

/ **नवीन स्वीकृत पद :—**

क्र.	पदनाम	पद संख्या	श्रेणी	वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**सहायक संगीत शास्त्री**	01	द्वितीय श्रेणी	9300–34800+4200
1.	**संगीतकार–नलतरंग**	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200
2.	**संगीतकार–सारंगा**	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200
3.	**संगीतकार–चेलो**	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200
1.	**कनिष्ठ संगीतकार–नलतरंग**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400
2.	**कनिष्ठ संगीतकार–इसराज**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400
3.	**कनिष्ठ संगीतकार–चेलो**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400
4.	**कनिष्ठ संगीतकार–सितार बैंजो**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400
5.	**कनिष्ठ संगीतकार–क्लार्नेट**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400
6.	**कनिष्ठ संगीतकार–फ्लूट**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400
1.	**सहायक–नलतरंग**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+1900
2.	**सहायक–इसराज**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+1900
3.	**सहायक–चेलो**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+1900
4.	**सहायक–सितार बैंजो**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+1900
5.	**सहायक–क्लार्नेट**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+1900
6.	**सहायक–फ्लूट**	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200+1900
	योग	**16**		

निरन्तर .....

3/ उपरोक्त नवीन निर्मित पदों के अमले के वेतन भत्तों पर होने वाला व्यय मांग संख्या–26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय 2202–सामान्य शिक्षा 103–राजकीय कालेज और संस्थान 7982 संगीत महाविद्यालय # 11 वेतन, भत्ते के अन्तर्गत शासकीय संगीत महाविद्यालय, मैहर की स्थापना मद से विकलनीय होगा।

4/ उक्त पदों पर सीधी भरती हेतु नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करते हुये, वित विभाग के यू. ओ. क्रमांक 222/आर–299/ब–2/2017, दिनांक 12/04/2017 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पदमरेखा ढोले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

क्रमांक एफ–25/8/स्था./2015/तीस, **भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2017**

प्रतिलिपि :–

1. **महालेखाकार,** मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
2. **प्रमुख सचिव,** राज्यपाल सचिवालय भोपाल.
3. **प्रमुख सचिव** मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
4. **प्रमुख सचिव,** मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
5. **प्रमुख सचिव,** मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
6. **प्रमुख सचिव (समन्वय),** मुख्य सचिव, कार्यालय भोपाल
7. **आयुक्त,** कोष एवं लेखा, संचालनालय, भोपाल.
8. **कोषालय अधिकारी,** जिला/उप जिला कोषालय, सतना/मैहर (मध्यप्रदेश).
9. **कार्यालय प्रमुख,** संस्कृति संचालनालय, म.प्र., भोपाल.
10. **प्राचार्य,** शा. संगीत महाविद्यालय, मैहर(जिला–सतना).

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.

11/7/2017

A.D(S) 17/7/17

20/7/17

1856

दिनांक 21/7/17

संचालनालय (म. प्र.)

मध्यप्रदेश शासन,
संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ–01-37/2013/तीस भोपाल, दिनांक सितम्बर, 2017

प्रति,

आयुक्त,
संस्कृति संचालनालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– शैक्षणिक सत्र के लिए संगीत/ललित कला महाविद्यालय में अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था।

.... 0 ....

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/संगतकार/निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक/वाद्ययंत्र (हारमोनियम आदि) सहायक/स्टूडियो सहायक/ग्रंथपाल पद के लिए अतिथि विद्वानों/शिक्षण सहायकों के आमंत्रण हेतु मानदेय, मापदण्ड एवं अध्यापन संबंधी व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. सामान्य :

1.1 इन नियमों/मापदण्डों के संदर्भ में 'अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक' से तात्पर्य प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/निर्देशक/संगतकार/वाद्ययंत्र (हारमोनियम आदि) सहायक/कनिष्ठ निर्देशक/स्टूडियो सहायक/ ग्रंथपाल आदि शैक्षणिक पदों से है।

1.2 महाविद्यालयों में **अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों** की व्यवस्था शिक्षण संबंधी पदों के लिए ही की जाएगी।

1.3 अतिथि विद्वानों एवं शिक्षण सहायकों की व्यवस्था यथासंभव शैक्षणिक सत्र में वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी।

2. चयन :

2.1.1 महाविद्यालयवार शैक्षणिक संवर्ग के अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को उस शैक्षणिक सत्र के लिए संचालनालय स्तर से आमंत्रित किया जाएगा।

2.1.2 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक का आमंत्रण अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा एक शिक्षण सत्र में अधिकतम 11 महीने का कार्य किया जा सकेगा तथा उसी हिसाब से उन्हें मानदेय भी प्राप्त होगा।

2.1.3 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा किए गए कार्य को भविष्य में अनुभव का लाभ दिये जाने के लिए 11 माह को एक शिक्षण सत्र माना जाएगा।

2.1.4 आवेदकों को अपने समस्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करते समय कराना अनिवार्य होगा।

2.1.5 आवेदनकर्ता केवल किसी एक शैक्षणिक संस्था हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक एक से अधिक विषयों में आवेदन प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है तो ही वह उन विषयों में अपना आवेदन पृथक–पृथक उसी संस्था के लिए ही प्रस्तुत कर सकेगा।

2.1.6 एक आवेदन में एक से अधिक महाविद्यालय/स्थान/विषय के लिए विकल्प का उल्लेख होने पर पूर्ण आवेदन ही निरस्त माना जावेगा।

2.1.7 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2.2 चयन की प्रक्रिया :

2.2.1 इन मार्गदर्शी मापदण्डों का संक्षिप्तिकरण करते हुए शासकीय संगीत/ललित कला महाविद्यालयों के लिए अतिथि विद्वानों की आवश्यकता अनुरूप, संस्कृति संचालनालय द्वारा विषयवार एवं महाविद्यालयवार आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं संचालनालय की वेब–साईट पर विज्ञापन जारी किया जावेगा।

2.2.2 अंतिम मेरिट सूची चयन हेतु मापदण्डों के आधार पर, प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त, गठित चयन समिति द्वारा, अन्य अधिभारों के अंकों को जोड़ते हुए बनायी जायेगी।

2.2.3 उक्त आधार पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार, चयनित आवेदकों को आमंत्रण–पत्र संस्कृति संचालनालय द्वारा सीधे प्रेषित किए जावेंगे।

2.2.4 आमंत्रित आवेदक को, आवंटित महाविद्यालय में समय–सीमा में उपस्थिति देकर ज्वाइन करना होगा।

2.2.5 चयनित आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में ज्वाइनिंग कराने के पूर्व संबंधित प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण उपरान्त ही ज्वाइंनिंग दी जावेगी।

2.2.6 आवेदक के आवेदन में किसी भी प्रकार की विसंगति प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा उस आवेदन को अमान्य किया जा सकेगा।

2.2.7 यदि आवेदनकर्ता अनावश्यक रूप से अपने नाम के कुछ अक्षरों में हेरफेर कर एक से अधिक आवेदन करते हैं तो इस तरह आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को आगामी 02 वर्षों के लिए ब्लैक–लिस्टेड किया जावेगा।

2.2.8 सम्पूर्ण सत्र के दौरान यदि किसी महाविद्यालय में किसी विषय में कोई पद रिक्त रह जाता है तो चयन समिति द्वारा तैयार मेरिट सूची से गुणानुक्रम के आधार पर उपलब्ध आवेदकों को आमंत्रण प्रेषित किया जावेगा एवं ऐसे आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी।

3. चयन :–

3.1 **चयन हेतु मापदण्ड :**

आमंत्रण प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट अंको का निर्धारण सामान्यतः निम्नानुसार रहेगा :–

(अ) **<u>प्राध्यापक/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता/ग्रंथपाल पदों के लिए :–</u>**

पी–एच.डी. तथा नेट/सेट के लिए	50 मेरिट अंक
एम.फिल तथा नेट/सेट के लिए	40 मेरिट अंक
नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	30 मेरिट अंक
पी–एच.डी. के लिए	20 मेरिट अंक
एम.फिल के लिए	10 मेरिट अंक
स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए	50 मेरिट अंक

(55% के लिए 05 अंक, 56 से 100% प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा।)

न नियम/संशोधित मूल नियम

3.2 यदि स्नातकोत्तर उपाधि में विषय में विशेषज्ञता किसी एक विषय की हो तो उसे उसी विषय के लिए मान्य किया जाएगा (हरमोनियम को छोड़कर)। उदाहरणार्थः– संगीत में "वादन" को "गायन" की अर्हता नहीं मानी जायेगी।

3.3 पी.एच.डी/एम.फिल की उपाधि संबंधित विषय में होने पर ही मान्य होगी।

3.4 कार्यानुभव हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्व वर्षों के आमंत्रण पत्रों को, जिस आधार पर उन्होंने वास्तविक शिक्षण/कार्य किया हो, प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया है केवल उसी अनुभव को अधिभार की गणना हेतु विचार में लिया जाएगा।

3.5 अतिथि विद्वान/ग्रंथपाल के पद हेतु पूर्व कार्यानुभव के आधार पर यह अधिभार प्रत्येक कार्य वर्ष के लिए 10 अंक (अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव के लिए 100 अंक तक) होगा।

3.6 शासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में जिन अभ्यार्थियों ने स्ववित्तीय योजना के तहत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार अनुभव के आधार पर अधिभार अंकों का लाभ दिया जावेगा।

3.7 समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा–निर्देश के अनुरूप स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार विकलांग अभ्यार्थियों को भी प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

3.8 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) (ललित कला के लिए चाक्षुष तौर से विकलांग को छोड़कर) अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।

4 न्यूनतम अहर्ताऐं :

शासकीय संगीत महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु :–		
क्र	पद/संवर्ग	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1	व्याख्याता/सहायक व्याख्याता	<u>शैक्षणिक योग्यता</u> एम.ए. (म्यूजिक) (संबंधित विषय में) –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण/एम. म्यूज संबंधित विषय में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। <u>अथवा</u> स्नातक/बी. म्यूज – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से तथा (संबंधित विषय में) संगीत कला रत्न/संगीत भास्कर/संगीत प्रवीण/संगीत अलंकार/कोविद न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। <u>कार्यानुभव</u> न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन कार्य (संबंधित विषय का) अनुभव।
2	संगतकार/वाद्ययंत्र सहायक	प्रभाकर/विशारद/विद (संबंधित विषय में) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।
शासकीय ललित कला महाविद्यालय के लिए अतिथि विद्वान/शिक्षण सहायक हेतु :–		
1	प्राध्यापक/व्याख्याता	<u>शैक्षणिक योग्यता</u>

	/सहायक व्याख्याता	मास्टर ऑफ फाईन आर्टस् (संबंधित विषय में) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा नेशनल डिप्लोमा इन फाईन आर्ट्स (पांच वर्षीय) (संबंधित विषय में) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। कार्यानुभव न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन कार्य (संबंधित विषय का) अनुभव।
2	निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक/स्टूडियो सहायक	बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स (संबंधित विषय में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।
संगीत/ललित कला महाविद्यालय के लिए :–		
1	ग्रंथपाल	बैचलर ऑफ लायब्रेरी साइंस – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।

5. अन्य शर्ते :

5.1 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएगें और वे लोक सेवक की विधि–विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक–सेवक" नहीं माने जाएगें।

5.2 विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के विरूद्व अतिथि विद्वानों/शिक्षण सहायकों से आमंत्रण–पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन संस्कृति संचालनालय द्वारा किये जाऐगें।

5.3 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक की चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि चयनित उम्मीदवार के विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए चयनित उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्वशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

5.4 अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।

5.5 मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव संबंधित प्राचार्य से प्राप्त होने पर परीक्षण के बाद संस्कृति संचालनालय द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। उक्त अनुदान लेखा अंकेक्षण के लिए सदैव उपलब्ध होगा। नियम में निर्धारित मानदेय ही प्रतिपूर्ति हेतु मान्य होगा।

5.6 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक की चयन प्रक्रिया पूर्णतः वैकल्पिक, अस्थायी एवं तदर्थ व्यवस्था है। इसमें चयन को भविष्य में नियमितीकरण का आधार मान्य नहीं किया जायेगा। वे न्यायालय में जाकर निरन्तर सेवा का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

5.7 प्राचार्यों के निर्देश अंतर्गत अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक से शैक्षणिक कार्यों के साथ–साथ आवश्यकतानुसार गैरशैक्षणिक कार्य भी कराया जा सकता है।

5.8 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को किसी भी प्रकार के अवकाश (प्रत्येक रविवार छोड़कर) की पात्रता नहीं होगी।

5.9 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा आवश्यकतानुरूप प्रतिदिन अधिकतम 05 कालखण्ड ही लिए जा सकेंगे।

5.10 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा।

5.11 अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.12 किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में संचालक, संस्कृति संचालनालय का निर्णय अंतिम होगा।

6. मानदेय :

6.1 संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में प्राध्यापक/व्याख्याता/सहा. व्याख्याता पदों के विरूद्ध एवं अध्यापन की आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने वाले अतिथि विद्वानों का मानदेय रु. 275/– प्रति काल खण्ड (अधिकतम रु. 825/– प्रति कार्य दिवस) (वास्तविक शिक्षणकाल के लिए) निर्धारित किया जाता है।

7. शैक्षणिक सहायकों के पदों की पूर्ति :

7.1 निर्देशक/कनिष्ठ निर्देशक (ललित कला), ग्रन्थपाल (संगीत/ललित कला), संगतकार/वाद्ययंत्र सहायक (संगीत शिक्षा) तथा स्टूडियो सहायक (ललित कला) आदि पदों की पूर्ति आउटसोर्स के माध्यम से की जा सकेगी।

7.2 संबंधित महाविद्यालय, उक्त पदों की पूर्ति हेतु संस्कृति संचालनालय से प्रतिवर्ष यथा– विधि पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।

7.3 संबंधित महाविद्यालय, उनके द्वारा नियमानुसार अनुबंधित की गई सेवा–प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से, इन नियमों के बिन्दु क्रमांक–4 में संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनुरूप, निर्धारित कलेक्टर दर पर, वास्तविक शिक्षणकाल के लिए सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे।

7.3 उक्त पदों पर सेवा–प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक सहायकों की योग्यता, कार्यानुभव, अध्यापन/तकनीकी सहयोग

क्षमता तथा संतोषप्रद सेवाओं के निर्धारण का दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

8. उक्त नियमों में समय–समय पर, आवश्यकतानुसार संशोधन संस्कृति विभाग द्वारा किये जा सकेंगे।

9. उक्त नियम वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति यू. ओ. क्रमांक 271आर–15/बी–2, दिनांक 19.01.2017 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पदमरेखा ढोले)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ–01-37/2013/तीस भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. संस्कृति मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्दौर, ग्वालियर, धार, मंदसौर, उज्जैन, नरसिंहगढ़, मैहर, खण्डवा, जबलपुर।
6. प्राचार्य ....महाविद्यालय ....(म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Bhel
अवर सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

A.D.(S)
23/9/17

90-9
280
238

आवक क्रमांक 2794
दिनांक 28/9/17
संस्कृति संचालनालय (म. प्र.)

Ex-Libris